# कार्यालय परियोजना प्रबंधक

## पी०आई०यू० सल्ट (एन०पी०सी०सी०) पी०एम०जी०एस०वाई०, अल्मोड़ा

Fax 0135-2675729 E-Mail: almoranpcc@gmail.com

पत्रांक-449/PMGSY/23-24/Lm/378 दिनांक 04/03/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग
जनपद - अल्मोड़ा

विषय :- जनपद- अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रत्खाल से [illegible] (सीमा तिराहा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.104 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/35197/2018) के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार पत्र सं० 8बी/यू0पी0सी0/06/74/2019/एफ0सी0/818 दिनांक 19/07/2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिंदुवार अनुपालन निम्नवत है :-

| क्र0सं0 | अधिरोपित शर्त | सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.208 है0 ग्राम गहणा (तिमले) सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतःइसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तांतरण एवं नामांतरण किया जायेगा। भूमि के हस्तांतरण एवं नामांतरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। | 1. **शर्त संख्या-1** के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.208 है0 ग्राम गहणा (तिमले) सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा करा दिया गया है। उक्त भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामांतरण करा दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है) |
| 2 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। | 2. **शर्त संख्या-2** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा करा दिया गया है। (छायाप्रति संलग्न है) |
| 3 | शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए। | 3. **शर्त संख्या-3** के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है) |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 4 | प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वंतिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नही होगी। | **4. शर्त संख्या-4** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा करा दिया गया है। ( क्षायाप्रति संलग्न है ) |
| 5 | सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी। | 5. **शर्त संख्या-5** के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। ( बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है ) |
| 6 | State Govt. May submit the DFO's Site Inspection Report in original to this office. | 6. **शर्त संख्या-6** आपके प्रभाग से संबन्धित है। |

अतः अनुरोध है कि मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करे।
**संलग्न-उपरोक्तानुसार 5-5 प्रतियों में।**

भवदीय,

अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियंता, पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

Scanned with CamSca

बिन्दु सं0...........3

## बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किया जायेगा।

सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

Scanned with CamSca

# बचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सड़क निर्माण के पश्चात जहां-जहां संभव हो सड़क के दोनों किनारों तथा central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।

सहायक अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

अधिशाषी अभियंता
पी०एम०जी०एस०वाई सल्ट

Scanned with CamScanner

नकल खतौनी (गैर जमा बि०) ग्राम - गहना तिमिले रा० उप नि० - नौलवालपाली तहसील - भिकियासैंण जनपद - अल्मोड़ा।

| खाता सं० | नाम खातेदार | मौलिक जाति० का नं० | खेत नं० | क्षेत्रफल | रकम | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1- | -2- | 3 | -4- | -5- | -6- | 7 से 13 |
| | श्रेणी ९(३) क - ऐसे वन जिनका [illegible] किया गया है। | | | | | |
| 33 | जंगल | | 487 | 1.445 | | 1431 फ० |
| | | | 2212म | 0.725 | | श्रीमान जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा के आदेश सं० 2724/ग्यारह-11/2023-24 दिनांक 27 जनवरी 2024 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सं० ज० वि० खाता सं० 33 श्रेणी ९(३) क जंगल के खेत सं० 2214, 2216 व 2223 मध्ये कुल रकबा 8.208 है० सिविल भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद किया गया। |
| | | | 2214म | 0.667 | | |
| | | | 2216म | 5.283 | | |
| | | | 2218म | 1.567 | | |
| | | | 2220म | 1.001 | | |
| | | | 2221म | 2.667 | | |
| | | | 2223 | 4.699 | | |
| | | | 2226 | 0.858 | | |
| | | योग | 9 | 21.009 | — | |

[signature] 29/01/2024
रा० उ० नि०
नौलवालपाली
भिकियासैंण (अल्मोड़ा)

महोदय,
नकल मुताबिक असल के तैयार की गयी।

[signature] 29/01/2024
राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र नौलवालपाली
तहसील भिकियासैंण
जिला

# आदेश

जनपद अल्मोड़ा मे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सखाल से खाल्यू (सीमा–रिष्टमा) मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 4.104 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु दोगुनी क्षेत्रफल की कुल 8.208 है0 सिविल भूमि का नियमानुसार वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010, दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में तथा याचक विभाग, अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, सल्ट के अनुरोध के कम में उप जिलाधिकारी, भिकियासैंण द्वारा अपने पत्र संख्या 331/विविध/2024 दिनांक 11–01–2024 से प्राप्त प्रस्ताव/आख्या संस्तुति के साथ निम्नवत अभिलेखों सहित क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु चयनित की गयी भूमि की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट, खतौनी,खसरा एवं नक्शा एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, देहरादून के आदेश संख्या 08बी./यू.सी.पी./06/74/2019/एफ.सी./818 दिनांक 19–07–2019 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति के आधार पर क्षतिपूरक– वृक्षारोपण हेतु ग्राम ग्राम गहण तिमले, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र नैलवालपाली, तहसील भिकिसौंण, जिला अल्मोड़ा के गै0ज0वि0ख0खा0संख्या 33 श्रेणी 9(3)क जंगल के खेत न0 2214, 2216 व 2223 मध्ये कुल 8.208 है0 सिविल भूमि का क्षतिपूरक–वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण मे हस्तान्तरित/नामान्तरित की जाती है। तहसीलदार, भिकियासैंण तदनुसार ही राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने उपरान्त खतौनी नकल की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अल्मोड़ा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 25 जनवरी,2024

( विनीत तोमर )<br>
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

*कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।*

संख्या–2724/ग्यारह–11 /2023–24 दिनांक 27 जनवरी,2024

**प्रतिलिपिः निम्नाकिंतों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।<br>
2– अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोडा ।<br>
3– उप जिला अधिकारी, भिकियासैंण, जनपद अल्मोड़ा।<br>
4– तहसीलदार, भिकियासैंण।<br>
5– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सल्ट।<br>
6– अधिशासी अभियन्ता,पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, सल्ट।

( विनीत तोमर )<br>
जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।

Scanned with CamSca

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/74/2019/एफ0सी0/818 दिनांकः 11/07/2019

सेवा में,
अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रतखाल से खाल्यूँ (सीमा–रिष्टमा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.104 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 3369/1 जी–FP/UK/ROAD/35197/2018 दिनांक 14.06.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/35197/2018 एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केन्द्र सरकार – जनपद – अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रतखाल से खाल्यूँ (सीमा–रिष्टमा) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.104 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 8.208 है0 ग्राम गहणा (तिमलै) सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. may submit the DFO's Site Inspection Report in original to this office.

Scanned with Cam

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधियत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जायें। राज्य सरकार द्वारा विधियत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 8.208 है0 ग्राम गहणा (तिमली) सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
6. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचायी जायेगी।
7. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
8. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 78 से अधिक न हो।
9. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी।
10. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानो के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
12. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

- यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

19-7

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः**

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with Cam